बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या प्र02वि0 1– 64/2012 (पार्ट) 2584 पटना 15, दिनांक 30.05.18

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 में विर्निदिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 समय–समय पर यथा संशोधन के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) पूर्णकालिक सदस्य/सदस्या के पद पर नियुक्त किया जाता है। इन्हें 30,000/– रूपया (तीस हजार) समेकित रूप से मासिक मानदेय प्रतिमाह भुगतेय होगा :–

क्र0 सं0	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	पुरूष/महिला सदस्य
01	02	03	04
01	श्री रविन्द्र कुमार, पिता– श्री शुकदेव यादव, स्थायी पता– ग्राम+पो0– मिर्जापुर, थाना– लदनिया, जिला– मधुबनी (बिहार) पिन कोड– 847232 पत्राचार का पता– देवना निवास, मिश्री गंज, कनड़ाघाट, वार्ड नं0– 07, थाना– विश्वविद्यालय परिसर, पो0– लालबाग, दरभंगा	दरभंगा	पुरूष सदस्य
02	डॉ0 (श्रीमती) माला सिन्हा, पति– प्रो0 मधुरंजन प्रसाद, स्थायी एवं पत्राचार पता – मो0– बंगलागढ, पो0– दरभंगा एच0ओ0, थाना– नगर, जिला – दरभंगा, पिन– 846004	दरभंगा	महिला सदस्य
03	श्री नन्द कुमार सिंह पिता– स्व0 जगदीश सिंह स्थायी एवं पत्राचार पता– ग्राम+थाना– दुल्हिन बाजार, पो0– बेल्हौरी, जिला– पटना–801102	बक्सर	पुरूष सदस्य
04	सुश्री इन्दु सिन्हा, पिता– डॉ0 एस0पी0 सिन्हा, स्थायी पता– 302 बी0, रिबिया रेजीडेन्सी, रूकुनपुरा, बेलीरोड, पटना (बिहार) पत्राचार पता– "स्नेह कमल" मकान संख्या–110, आशियाना नगर, फेज–01, थाना– राजीवनगर, पटना–800025	भोजपुर	महिला सदस्य

2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. संबंधित सदस्य/सदस्या अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म तिथि प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ समर्पित करेगें। जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नही किया जायेगा। योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी समर्पित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगे कि नियुक्त सदस्यों से बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र02 वि01– 64/2012(पार्ट) 2584 खाद्य, पटना, दिनांक 30.05.18

प्रतिलिपि– ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0– यथोक्त।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र02 वि01– 64/2012(पार्ट) 2584 खाद्य, पटना, दिनांक 30.05.18

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आर0 ब्लॉक, पटना/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/संबंधित सभी सदस्य/सदस्या/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा–02 एवं प्रशाखा– 05 को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे संबंधित सदस्यों को अधिसूचना की प्रति का तामिला अपने स्तर से शीघ्र कराना सुनिश्चित करेगें।

सरकार के सचिव

Sub :- Notification of post of Members (Male/Female) in District Consumer Fora.